सहायक भू-हाइड्रोलाजिस्ट भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एमटेक (सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग) डिग्री को भूविज्ञान की स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष मानने की मांग की गई थी। मामला मधुकर पटेल एवं अन्य बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य शीर्षक से दर्ज था। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला 13 अगस्त 2025 को सुनाया।

12 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने जल संसाधन विभाग में सहायक भू-हाइड्रोलाजिस्ट के पांच पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। भर्ती नियम 2014 के अनुसार, इन पदों के लिए भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य थी। याचिकाकर्ताओं के पास इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) और एम.टेक (सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग) की डिग्री थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी डिग्री को भूविज्ञान के बराबर माना जाना चाहिए और इस नियम ने उन्हें अनुचित रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया।

आयोग ने रखा अपना पक्ष: आयोग की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने कहा कि आयोग केवल परीक्षा आयोजित करने वाला निकाय है। शैक्षणिक योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि, भूविज्ञान सम्पूर्ण पृथ्वी और उसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन का व्यापक दायरा रखता है, जबकि सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग मृदा और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के एक विशेष पहलू पर केंद्रित होती है।

याचिकाकर्ताओं ने यह दिया तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एम.टेक (सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग) और भूविज्ञान डिग्री को समकक्ष माना जाए। भर्ती नियम 2014 की अनुसूची-III भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। योग्य उम्मीदवारों को सार्वजनिक रोजगार से वंचित किया गया।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कहा कि, भूविज्ञान और सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में मौलिक अंतर है। भूविज्ञान का कार्यक्षेत्र व्यापक है- पृथ्वी, भूजल संसाधन और हाइड्रोलाजिकल सर्वेक्षण। सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग कृषि क्षेत्र से अधिक संबंधित है। नियोक्ता को पद की प्रकृति के अनुसार योग्यता तय करने का अधिकार है। भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और 21 अक्टूबर 2021 को नियुक्तियां हो चुकी हैं।